न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 33/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. अजयसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत मृतक के बजाय वदनसिंह, पन्नेसिंह, रामसिंह, देवीसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजयसिंह, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. वदनसिंह पुत्र स्वर्गीय अजयसिंह राजपूत मृतक के बजाय :–

2/1. भोपालसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री वदनसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. रणजीतसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री वदनसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

3. पन्नेसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजयसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. रामसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजयसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवीसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजयसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. दौलतसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. लालसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. सोहनसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. तख्तसिंह पुत्र श्री किशनसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भेरूसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

4. मृतक उदयसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत के बजाय श्रीमती माणक कुंवर पत्नी स्वर्गीय श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

5. मृतक मानसिंह पुत्र कालूसिंह राजपूत के बजाय :–

5/1. भेरूसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

5/2. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह पुत्री मानसिंह जी राजपूत, निवासी हीरावास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

6. किशनसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

7. अमरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

8. मृतक भंवरसिंह पुत्र श्री उदयसिंह के बजाय :–

8/1. श्रीमती फूल कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

8/2. तख्तसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत (नाबालिग) जरिये संरक्षक माता श्रीमती फूल कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

8/3. दिलीपसिंह उर्फ प्रतापसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत (नाबालिग) जरिये संरक्षक माता श्रीमती फूल कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

8/4. सुश्री बेवी पुत्री श्री भंवरसिंह राजपूत (नाबालिग) जरिये संरक्षक माता श्रीमती फूल कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह राजपूत, निवासी पडावलीकलां, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 29.01.2010, प्र. सं. 71/07

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री के. एल. चोर्डिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक 16–11–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पड़ावलीकला में वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि वाद पत्र की परिशिष्ट ''अ'' अनुसार स्थित है। वादी सीधा–साधा व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण बेजा दखलन्दाजी करते हैं तथा मौके से बेदखल करने एवं वादी की जमीन पर जबरन कुंआ खोदने पर आमादा है। अतएवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 9 व 10 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का सन् 1972 से 5/6 हिस्सा है तथा मौखिक बंटवाड़े अनुसार अलग–अलग काबिज हैं। जवाबदावे की कलम संख्या 1 ''क'' से ''च'' तक की भूमियां मौके पर बटी हुई हैं, जो जमीन वादी के हिस्से में आयी है उसी पर वादी काबिज है। मौके पर खुदे कुऐ में वादी का भी 1/6 हिस्सा है। वादी ने वाद त्रुटि पूर्ण तथ्यों पर पेश किया हैं।

विशेष कथन में बताया कि गांव पड़ावली में अनारसिंह व तेजसिंह चौहान रहते थे। ओनारसिंह के कोई औलाद नहीं थी इसलिए तेजसिंह ने अपने लड़के कर्णसिंह को उसके गोद रखा व विवादित जमीन कर्णसिंह के खाते की गयी थी। उसमें से आराजी नंबर 49 से 53 दिनांक 30–06–1963 को हमारे पिता कालूसिंह जी ने रहन बिल कब्ज 601/– रूपये व उसके बाद तेजसिंह ने दिनांक 16–06–1966 को बाकी आराजियात आराजी नंबर 54 से 58, 60 से 62, 65 से 72 दिनांक 16–07–1966 को 2098 रूपये में रहन बिल कब्ज कर दी, जिससे उस समय कब्जा कालूसिंह जी व उनके 6 लड़कों का हुआ। उसके बाद यह जमीन पी.डी.आर. एक्ट के तहत कर्ज नहीं चुकाने के कारण नीलाम हुई, तब तेजसिंह जी ने हमारे पिता व हम लोगों को समझाते हुए कहा कि यह जमीन नीलाम हो रही है सो शामिल में खरीद लो। सबने मिलकर बोली लगाकर खरीदना तय किया, जिसमें वादी के नाम जमीन छूटी व उसके खाते दर्ज हुई। प्रतिवादीगण का कब्जा 1972 से वादी

की जानकारी में होकर शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। अतएवं धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वादी का कब्जा लेने का हक समाप्त हो चुका है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

उक्त जवाबदावे का जवाबुल जवाब भी वादी द्वारा खण्डन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में 5/6 हिस्सा होने का कोई आधार नहीं है, न ही कभी पूर्व में विभाजन हुआ है। सारी भूमि का वादी खातेदार होकर काबिज है। भाईयों ने कभी शामिल सरीक भूमि क्रय नहीं की थी। खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय में एक अन्य दावा अपीलान्टगण के पूर्वज दौलतसिंह, उदयसिंह, मानसिंह, अजयसिंह व किशनसिंह द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/वादी विजयसिंह व सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद की परिशिष्ट ''अ'' में अंकित भूमियां मौजा पडावलीकला में स्थित है, जो तेजसिंह ठाकुर की थी। उन्होंने वादी के पिता से कर्ज लिया था और कर्ज के एवज में रहन की थी व उन्होंने बैंक से कर्ज लिया तथा रहन नहीं चुका सकने के कारण जमीन नीलाम हुई। इसी दौरान तेजसिंह व कर्णसिंह का स्वर्गवास हो गया। नीलामी में भूमि सभी भाईयों ने मिलकर शामिल में खरीदी जिससे सभी भाईयों का 1/6 हिस्सा है व सन् 1972 में सभी भाईयों ने आपसी मौखिक बंटवाड़ा कर लिया और उसी अनुसार वाद पत्र की कलम संख्या 4 ''क'' से ''च'' अनुसार काबिज हैं। अतएवं वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किये जाने एवं खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा स्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग की।

उक्त वाद के खण्डन का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष उत्तर एवं प्रतिवाद में कथन किया कि विवादित भूमियों का एक मात्र काबिज व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है। वादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति होकर लडाई–झगडा करते हैं तथा प्रतिवादी को बेदखल करने पर आमादा तथा प्रतिवादी की फसलों को नुकशान पहुंचाते हैं। अतएवं उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट के वाद तथा अपीलान्ट के वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–09–2000 को समेकित करने का आदेश देते हुए

दोनों प्रकरणों में बनी हुई तनकियात को पुनः विवेचित करते हुए प्रकरण में समेकित दोनों प्रकरणों के आधार पर निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होकर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया विवादित जमीन अनारसिंह व तेजसिंह की थी व अनारसिंह ने कर्णसिंह को गोद लिया व कर्णसिंह ने उक्त भूमि को 30–06–1963 को 601/– रूपये में व दिनांक 16–07–1966 को 2098/– रूपये में श्री कालूसिंह को रहन बिल कब्ज की ? ..... प्रतिवादी
3. आया विवादित भूमि पी. डी. आर. एक्ट के तहत कुर्क होकर नीलाम हुई ? ..... प्रतिवादी
4. आया विवादित जमीन सभी भ्रातागण ने शामिल शरीक होकर विधिवत क्रय की ? ..... प्रतिवादी
5. आया विवादित भूमि की नीलामी वादी के नाम अंतिम रूप से होकर वादी के नाम खाते में अंकित हुई ? ..... प्रतिवादी
6. आया विवादित भूमि का मौखिक विभाजन पक्षकार में होकर अलग–अलग काबिज हैं ? ..... प्रतिवादी
7. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी का प्रतिकूल आधिपत्य होने से वादी को कब्जा प्राप्त करने का हक समाप्त हो गया ? ..... प्रतिवादी
8. प्रतिकार ?

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–01–2010 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–03–2010 को प्रस्तुत की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 1 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल चोर्डिया व श्री मनीष शर्मा ने अपनी उपस्थिति दी। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में अपीलान्ट के अपस्थिति नहीं होने पर दिनांक 24–09–2014 को अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गय, जिसे इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नंबर 8/2015 निर्णय दिनांक 26–04–2017 से पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को पूर्ण रूप से देखे बिना व उस पर बिना विचार किये केवल वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत दावे का ही विवेचन करने हुए निर्णय पारित कर दिया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका से ही दोनों दावों को कन्सोलिडेट करते हुए एक साथ ट्रायल करने का आदेश दिया गया तथा दोनों दावों के आधार पर कुल 7 तनकियात कायम की गयी, परन्तु तनकी नंबर 1 से 3 का ही संक्षिप्त विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है, तनकी नंबर 4 से 7 के बारे में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में कुल 15 गवाह के परीक्षण हुए तथा सभी गवाहों ने अपने बयानों में उक्त भूमि को स्पष्ट रूप से नीलामी में सभी भ्रातागणों द्वारा शामिल शरीक खरीदने का कथन किया है तथा सन् 1972 से आपसी मौखिक बंटवाड़े अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बयानों पर कोई गौर नहीं किया है न ही पेश शुदा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बनायी गयी 7 तनकियों के सन्दर्भ में प्रत्येक तनकी के शब्दों जितनी ही विवेचना करते हुए तनकी नंबर 1 से 3 पर अपना निर्णय पारित किया है। तनकी नंबर 4 से 7 जो अपीलान्ट के कन्सोलिडेट दावे के सन्दर्भ में होकर उनके हक अधिकारी बाबत् महत्व पूर्ण तनिकयां हैं, जिन पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है तथा सरसरी एवं समेकित अस्पष्ट निर्णय

किया गया है, जो आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उलंघन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का भी विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे को कन्सोलिडेट करने के बावजूद उस पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है, जबकि उक्त दावा भी निर्णय का मोहताज है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट के समेकित दावे पर भी किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रत्येक तनकी पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए दोनों दावों में स्पीकिंग निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16–01–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती गुलाब बाई पिता धुला पत्नी प्रताप जी ब्राहमण, निवासी देस्थान मादड़ी तहसील गोगुन्दा व अन्य बनाम **रूपलाल पिता जवानिंग ब्राहमण, निवासी देवस्थान मादड़ी तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**47 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....23**.....माह.....**02**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**05**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व ...**श्री कन्हैयालाल चोर्डिया** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**05**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।